निर्धारित प्रारूप में फाइनल पेमेन्ट आवेदन महालेखाकार कार्यालय भेजने के पूर्व कार्यालय अध्यक्ष की चैक लिस्ट

(i) अंतिम भुगतान आवेदन पत्र सक्षम अधिकारी/उच्च अधिकारी द्वारा अग्रेषित किया गया है ।

(ii) निर्धारित प्रारूप के कॉलम नंबर 1 से 10 तक को सत्यापित किया गया है और उन्हें उचित रूप से भरा गया है। मृत्यु प्रमाण–पत्र/त्याग पत्र स्वीकृति आदेश संलग्न है।

(iii) 5.6.72 से स्वीकृत तथा संदत्त आंशिक अंतिम विकर्षण और अस्थायी अग्रिम का उल्लेख किया गया है। या सूची संलग्न है।

(iv) सामान्य भविष्यनिधि में अतिशेष अंतरित करने के लिए डी.पी.एफ. खाते के ब्यौरे (पिछले 31 मार्च तक मासवार कटौती, आहरण तथा ब्याज) एवं अभुगतान प्रमाण–पत्र संलग्न किये गये हैं। (यदि डी.पी.एफ. की राशि पूर्व में अंतरित ना की गयी हो)

(v) नामांकन विद्यमान होने की दशा में मूल नामांकन संलग्न है। इस निदशिती, मध्यप्रदेश सामान्य भविष्य निधि नियम 1995 की परिभाषा के अनुसार परिवार का सदस्य है या परिवार का सदस्य नहीं है, उचित कॉलम में कथन किया गया है।

(vi) मृतक शासकीय सेवक के परिवार के सदस्यों के ब्यौरे, नातेदारी तथा आयु अंकित की गई है।

(vii) अवयस्क वारिस की दशा में, संरक्षक का प्रमाण–पत्र/इडेमिनिटी वॉण्ड संलग्न है।

(viii) ऐसे मामले में जहां अभिदाता का कोई परिवार न हो तथा कोई नामांकन विद्यमान न हो, तब दावेदार के पक्ष में उत्तराधिकारी प्रमाण–पत्र/विधिक वारिस प्रमाण–पत्र संलग्न है।

(ix) यदि भुगतान कोषालय द्वारा चाहा गया है तो अभिप्रमाणित नमूना हस्ताक्षर के 3 सेट, अंगुली तथा अंगूठे का निशान, पहचान चिन्ह एवं अभिप्रमाणित फोटो संलग्न किये गये हैं।

(x) अभिदाता द्वारा राज्य सरकार के दूसरे विभाग या दूसरी सरकार के स्वामित्व के या उसके द्वारा नियंत्रित किए निगम/निकाय में नियुक्त किये जाने पर त्याग पत्र की दिशा में, नए विभाग/संस्था का भविष्य निधि खाता क्रमांक विभाग/संस्था की सहमति, पदाभियान तथा जिस पर बैंक ड्राफ्ट देय हो, आदि ब्यौरे संलग्न किये गये हैं।

(xi) अन्य अपेक्षित दस्तावेज

(अ) प्रमाणित मूल सामान्य भविष्य निधि की पास बुक

(ब) अभिदाता के कार्यभार (इकम्बैंसी) के ब्यौरे

(स) सामान्य भविष्य निधि पास बुक उपलब्ध न होने की दशा में उसकी सेवानिवृत्त/मृत्यु/त्याग पत्र के पूर्व पिछले 12 माह के सामान्य भविष्य निधि के मद्दे की गई कटौतियों के ब्यौरे ।